दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **F.S.S.Act Case No.68/2023**	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.01.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राजीव टेकवानी पुत्र जगदीश टेकवानी, निवासी– पेलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बे ट्रेडर्स, बग्गीखाना स्कूल के पास, पेलेस रोड, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 19.2.2022 को फर्म अम्बे ट्रेडर्स, बग्गीखाना स्कूल के पास, पेलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राजीव टेकवानी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1722 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./572/Act/2022/568 दिनांक 03.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब व मूंग दाल खरीद के बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 03.1.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री मेड़तिया की बहस सुनी गई, जिन्होंनं बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का नमूना प्रतिवादी से नही लिया गया है एवं न ही नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी के सामने निष्पादित नही की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही किया है। नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादी को कोई सूचना नही दी है तथा न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी को भिजवाई गई है, इस कारण से प्रतिवादी उक्त खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भा[illegible]फरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 200[illegible] का उल्लंघन है। ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.68/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

आवेदक द्वारा प्रतिवादी मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही संदेहास्पद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने को टेम्पर विथ कर गलत रिपोर्ट प्रात की है। यह कि प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का निर्माण व पैकिंग नही की है। प्रतिवादी ने होलसेलर से मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) को क्रय किया है। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है क्योंकि लेबल पर त्रृटि निर्माता फर्म द्वारा की गई है, इसलिये प्रतिवादी को लेबल पर हुई त्रृटि के संबंध में दोषी नही ठहराया जा सकता है। यह कि F.S.S.A.I. द्वारा जारी परिपत्र जो भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया है उसमें मिथ्याछाप वाले प्रकरणों में संबंधित फर्म को लेबल पर हुई त्रृटि में सुधार का नोटिस दिया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 19.2.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अम्बे ट्रेडर्स, बग्गी खाना स्कूल के पास, पेलेस रोड, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी राजीव टेकवानी पुत्र जगदीश टेकवानी, जाति– सिंधी, निवासी– पेलेस रोड, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता राजीव टेकवानी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के 9 पैक्ड बैग (प्रत्येक 30 किलोग्राम) में से मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के एक पैक्ड बैग को खोलकर हिला मिलाकर एकरूप किये गये खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) ... किलोग्राम मूंग दाल को क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि 330/– (अक्षरे रुपये

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रा॰ जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज॰)

कॉर्ट. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.68/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) को साफ, सूखे, खाली चार प्लास्टिक जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर चारों जारों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1722, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। एक नमूना जार के मूल लेबल साथ लगाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1722 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 21.2.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री अमर सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19.2.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। ... पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों ... है कि श्री विनोद .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति० जिला प्रबन्धक सिरोही (राज०)

अति. जिला न्यायाधीश
सिरोही-307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.68/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म अम्बे ट्रेडर्स, बग्गी खाना के पास, पेलेस रोड, सिरोही में प्रतिवादी राजीव टेकवानी से खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1722 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./572/ Act/2022/568 दिनांक 03.3. 2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से मूंग दाल के क्रय का फर्म गोदावरी ट्रेडर्स–भीलवाडा के बिल इनवोईस नम्बर 6141 दिनांक 10.1.2022 की प्रति प्रस्तुत की है, परन्तु इस बिल इनवोईस में मूंग दाल की ब्राण्ड का नाम अंकित नही है। जिससे, प्रकरण में यह तथ्य साबित नही होता है कि प्रतिवादी राजीव टेकवानी की फर्म अम्बे ट्रेडर्स द्वारा फर्म गोदावरी ट्रेडर्स–भीलवाडा से मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) ही क्रय की हो। इससे, यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी राजीव टेकवानी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मूंग दाल (राजस्थानी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु राजीव टेकवानी पुत्र जगदीश टेकवानी, निवासी– पेलेस रोड, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बे ट्रेडर्स, बग्गीखाना स्कूल के पास, पेलेस रोड, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी राजीव टेकवानी को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.2.2024 को पेश हो।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ.भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.